न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 84/2021

विकम बनाम अनिल

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (ड़)सिविल प्रक्रिया संहिता

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विनोद भाटी अधिवक्ता — प्रार्थी / प्रतिवादी
2. श्री विक्रम बिश्नोई अधिवक्ता — अप्रार्थी / वादीगण

दिनांक :– 08.07.2024

–:: आदेश ::–

वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी., 151 सी.पी.सी. पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्यानुसार वादीगण द्वारा एक वाद श्रीमान न्यायालय के समक्ष दिनांक 15–06–2021 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि वाके चक 10 एफ बड़ा तह० व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 108/80 के खातेदारी अधिकारों की घोषणा व विभाजन व रेट के वितरण हेतु पेश किया। वादीगण द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया, उक्त वाद में वादी द्वारा वाद पत्र एक प्रति पर प्रस्तुत किया गया है, जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के कलॉज (ड़) में वर्णित किया गया है कि जहां पर वाद दो प्रतियों में पेश नहीं, वहां पर वाद को खारिज किया जावे। आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि वाद दो प्रतियों में नहीं पेश किया गया है तो उस वाद को खारिज किया जावे और उक्त वाद पत्र की वादीगण द्वारा दो प्रतियों में पेश किया नहीं किया गया है इसलिए वाद पत्र न्यायालय में चलने योग्य नहीं है क्योंकि यह आदेश 7 नियम 11 (ड़) के प्रावधानों से हिट होता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (ड़) सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

वकील वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वाद पत्र का पहरा नं. 1 के अनुसार वाद पत्र को प्रस्तुत करते समय द्वितीय प्रतिलिपि पेश न करने की जो सहबन भूल हुई है उसकी द्वितीय प्रतिलिपि आज माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत की जा रही है, वाद पत्र की द्वितीय प्रति भूलवंश वादी के अधिवक्ता की पत्रावली मे रह गयी थी जो आज प्रस्तुत की जा रही है। वाद दो प्रतियों मे पेश किये जाने के प्रावधानो को आदेशात्मक प्रावधान नहीं माना गया है। इस भूल को सुधारने की अनुमति दी जानी इंसाफन आवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय दावा की द्वितीय प्रति के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है दावा की द्वितीय प्रति शामिल मिसल की जाने का आदेश देते हुए प्रार्थना पत्र प्रतिवादी खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी की मुख्य बहस यह रही कि वादीगण द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया, उक्त वाद में वादी द्वारा वाद पत्र एक प्रति पर प्रस्तुत किया गया है। आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि वाद दो प्रतियों में नहीं पेश किया गया है तो उस वाद को खारिज किया जावे। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(ड़) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जावे। वकील वादीगण की मुख्य बहस यह रही कि वाद पत्र का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:31:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

पहरा नं. 1 के अनुसार वाद पत्र को प्रस्तुत करते समय द्वितीय प्रतिलिपि पेश न करने की जो सहबन भूल हुई है उसकी द्वितीय प्रतिलिपि आज माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत की जा रही है, वाद पत्र की द्वितीय प्रति भूलवंश वादी के अधिवक्ता की पत्रावली मे रह गयी थी जो आज प्रस्तुत की जा रही है। वाद दो प्रतियों मे पेश किये जाने के प्रावधानो को आदेशात्मक प्रावधान नहीं माना गया है। इस भूल को सुधारने की अनुमति दी जानी इंसाफन आवश्यक है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11(ड़) सी. पी.सी. खारिज किया जावे।

बहस उभ्यपक्ष पर मनन किया गया। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट लिखा है कि :-

(क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख)- जहां दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन कम किया है वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग)- जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ)- जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड़)- जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।

(च)- जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह कथन स्वीकार किये गय हैं कि वाद पत्र की द्वितीय प्रति भूलवंश वादी के अधिवक्ता की पत्रावली मे रह गयी थी। इससे यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद एक प्रति में पेश किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11(ड़) से हिट होता है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (ड़)सी.पी.सी. स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:31:59 IST
Reason: SelfAttested